गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय) हरिद्वार

(नैक से A ग्रेड प्राप्त एवं यू0जी0सी0 एक्ट 1956 के सेक्शन 3 के अन्तर्गत समविश्वविद्यालय)

प्रबन्ध–मण्डल की 16 वीं बैठक की विषय सूची एवं विवरणात्मक टिप्पणी

दिनांक : 10.01.2021
समय : प्रातः 11:00 बजे
स्थान : गुरुकुल, कुरुक्षेत्र (हरियाणा)

सदन की बैठक में निम्न महानुभाव उपस्थित हुए ।

1. प्रो0 रूप किशोर शास्त्री, कुलपति–अध्यक्ष
2. प्रो0 राजेन्द्र विद्यालंकार, भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय) के नामित सदस्य
3. श्री नरिन्दर सिंह कटारिया, मान्य कुलाधिपति के नामित सदस्य
4. श्री विनय आर्य, प्रायोजक संस्था द्वारा नामित सदस्य
5. प्रो0 एस0के0 श्रीवास्तव, वरिष्ठ संकायाध्यक्ष, सदस्य
6. प्रो0 नवनीत, वरिष्ठ संकायाध्यक्ष, सदस्य
7. प्रो0 मनुदेव बन्धु, वरिष्ठ प्रोफेसर, सदस्य
8. प्रो0 निपुर सिंह, कोर्डिनेटर, कन्या गुरुकुल परिसर, देहरादून, सदस्या
9. डॉ0 सुनील पंवार, वरिष्ठ एसोसिएट प्रोफेसर, सदस्य
10. प्रो0 दिनेश चन्द्र भटट्, कुलसचिव / संयोजक

ईश वन्दना के साथ बैठक प्रारम्भ हुई ।

प्रस्ताव संख्या 01

समविश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल (BOM) में वरिष्ठ प्रोफेसर के रुप में पूर्व में नामित सदस्य का कार्यकाल पूर्ण होने पर उनके स्थान पर नये सदस्य को नामित किये जाने के सम्बन्ध में ।

विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल (BOM) में पूर्व में वरिष्ठ संकायाध्यक्ष के रुप में नामित सदस्य डॉ0 सन्तराम वैश्य का वरिष्ठ प्रोफेसर का कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण मान्य कुलपति जी द्वारा विश्वविद्यालय के MOA के बिन्दु संख्या 3.2 के अनुसार वरिष्ठता के आधार पर डॉ0 मनुदेव बन्धु, प्रोफेसर, वेद विभाग को वरिष्ठ प्रोफेसर के रुप में विश्वविद्यालय के प्रबन्ध–मण्डल में दिनांक 01.08.2020 से 31.07.2022 तक (दो वर्ष) अथवा सम्बन्धित प्रोफेसर के कार्यकाल तक (जो भी पहले हो) सदस्य नामित किया गया है।

मान्य कुलपति जी ने सदन को अवगत कराया है कि प्रो0 मनुदेव बन्धु, वेद विभाग में प्रोफेसर के रुप में कार्यरत हैं तथा विगत 38 वर्षों से वैदिक वाङ्मय के अध्ययन अध्यापन एवं शोध में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। सभी सदस्यों द्वारा प्रो0 मनुदेव बन्धु के प्रबन्ध मण्डल में सदस्य नामित किये जाने पर अभिनन्दन एवं स्वागत किया गया । तदनुसार प्रस्ताव का अंकन किया गया।

प्रस्ताव संख्या 02

समविश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की गत बैठक दिनांक 27.07.2020 की कार्यवाही की सम्पुष्टि ।

विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की विगत बैठक दिनांक 27.07.2020 को श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ, कटवरीया सराय, इन्डट्रीयल एरिया, नई दिल्ली में सम्पन्न हुई थी, जिसकी कार्यवाही सभी सदस्यों को दिनांक 14.08.2020 को इस आशय से भेजी गयी थी कि यदि कार्यवाही में कोई आपत्ति है तो 15 दिन में

(दिनांक 29.08.2020 तक) सूचित करने का कष्ट करें। इस कार्यवाही पर दिनांक 27.08.2020 को प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों प्रो0 नवनीत एवं प्रो0 निपुर सिंह द्वारा आपत्ति प्रेषित की गयी थी । प्रेषित की गयी आपत्ति को कार्यवृत्त में सम्मिलित कर प्रबन्ध मण्डल के समस्त सदस्यों को दिनांक 09.09.2020 को ईमेल के द्वारा अवगत करा दिया गया था।

प्रो0 नवनीत एवं प्रो0 निपुर सिंह द्वारा प्रेषित उपर्युक्त आपत्ति के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया किः–

1. डॉ0 हरीश चन्द्र के प्रोफेसर पद हेतु निर्धारित 10 वर्ष की सेवा अवधि में जोड़ी गयी निजी शिक्षण संस्थान की सेवा अवधि के सम्बन्ध में इसी प्रबन्ध मण्डल की बैठक के प्रस्ताव संख्या 03 के बिन्दू 06 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जाये।
2. जिन शिक्षकों के द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासन की स्वीकृति लेकर निजी शिक्षण संस्थानों में सेवा की गयी थी उनसे केवल साधारण ब्याज लिया जाये।

प्रस्ताव संख्या 03

समविश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की गत बैठक दिनांक 27.07.2020 में पारित प्रस्तावों का कियान्वयन ।

विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की गत बैठक दिनांक 27.07.2020 में पारित प्रस्तावों के क्रियान्वयन की रिपोर्ट के कुछ बिन्दुओं पर निम्न प्रकार से निर्णय लिये गयेः–

1. जिन शिक्षकों को अतिरिक्त कार्य के सम्बन्ध में दिये जा रहे मूलवेतन के 10 प्रतिशत के स्थान पर 02 प्रतिशत मानदेय दिये जाने तथा दिनांक 01.07.2017 से लागू किये जाने के उपरान्त कटौती राशि के सम्बन्ध में मान्य कुलपति जी ने कहा कि कुछ शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों द्वारा निवेदन किया गया है कि उक्त कटौती को प्रबन्ध मण्डल की बैठक की तिथि (27.07.2020) से लागू किया जाये। इस सम्बन्ध में कुलसचिव ने सदन को अवगत कराया कि वित्त मंत्रालय द्वारा जिन भत्तों को समाप्त कर अतिरिक्त भत्ता 02 प्रतिशत निर्धारित किया गया है, ऐसा प्रतीत होता है कि उनमें से कोई भी भत्ता विश्वविद्यालय द्वारा अतिरिक्त कार्य हेतु नही दिया जा रहा था/है। कुलसचिव ने यह भी अवगत कराया कि प्रो0 विनोद कुमार, कम्प्यूटर विज्ञान विभाग (सेवानिवृत्त) के द्वारा प्रेषित पत्र में संलग्न किये गये **DOPT** के कार्यालय–ज्ञापन (**Recovery of wrongful/exces payment made to Govt. servent**) के अनुसार नियोक्ता की त्रुटि से यदि कर्मचारी को भुगतान हुआ है और कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं या रिकवरी आदेश जारी होने के एक वर्ष के अन्तर्गत सेवानिवृत्त होने वाले हैं, तथा ग्रुप सी एवं डी के कर्मचारियों से कोई भी कटौती नहीं की जानी चाहिए। प्रो0 राजेन्द्र विद्यालंकार एवं श्री विनय आर्य ने कहा कि प्रो0 विनोद कुमार द्वारा जो पत्र/प्रपत्र प्रेषित किये गये हैं, उन प्रपत्रों पर विधिक राय दिये जाने हेतु प्रबन्ध मण्डल के सदस्य श्री नरिन्दर सिंह कटारिया अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। जिसे प्रबन्ध मण्डल की आगामी बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाये। विश्वविद्यालय प्रशासन श्री नरिन्दर सिंह कटारिया को सम्बन्धित प्रपत्र शीघ्र उपलब्ध करायेगा।

2. निजी आवास के सम्बन्ध में गठित समिति द्वारा प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट को कुलसचिव द्वारा सदन में रखा गया। रिपोर्ट पर मान्य कुलपति जी ने कहा

कि डॉ0 मंयक अग्रवाल को 24 फरवरी 2020 से वार्डन का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। अतः उचित होगा कि इनसे कामर्शियल दरों के अनुसार आवास का किराया 23 फरवरी 2020 तक ही लिया जाये तथा अन्य कर्मचारी/शिक्षकों के सम्बन्ध में गठित समिति की संस्तुति के अनुसार ही कार्यवाही की जाये।

प्रो0 राजेन्द्र विद्यालंकार ने कहा कि जिन शिक्षक/कर्मचारियों को विश्वविद्यालय द्वारा आवास आवंटित है उनसे प्रतिवर्ष माह अप्रैल में एक शपथ पत्र लिया जाना चाहिए कि उनका हरिद्वार क्षेत्र में अपना अथवा **Spouse** का कोई भी निजी आवास नहीं है।

श्री विनय आर्य ने कहा कि जिन शिक्षक/कर्मचारियों को विश्वविद्यालय द्वारा आवास आवंटन है तथा उनमें से किसी का आवास निर्माणाधीन है तो मान्य कुलपति जी समय–समय उन निर्माणाधीन आवासों का निरीक्षण करा सकते हैं। डॉ0 निपुर सिंह ने जानना चाहा कि व्यावसायिक किराया कब से लिया जाना चाहिए और क्या प्रशासन द्वारा सम्बन्धित कर्मचारियों को सूचित किया गया था या नहीं। इस सम्बन्ध में अन्य सदस्यों द्वारा कहा गया कि जब से गठित समिति द्वारा संस्तुति की गयी है उसी तिथि से व्यावसायिक किराया लिया जाये। प्रस्ताव पर उपर्युक्तानुसार कार्यवाही किया जाना स्वीकार किया गया।

3. भूमि के अदला–बदली के सम्बन्ध में श्री नरिन्दर सिंह कटारिया ने कहा कि अदला–बदली किये जाने वाले प्लाटों की कीमत का आकलन कर लिया जाये। श्री विनय आर्य ने कहा कि स्पोंसिरिंग सोसाईटी के तीनों प्रधानों अथवा प्रतिनिधियों द्वारा जमीन को देखकर निर्णय लिया जा सकता है। अतः उक्त के सम्बन्ध में प्रस्ताव स्पोंसिरिंग सोसाईटी के तीनों प्रधानों को प्रेषित किया जाये। उपर्युक्तानुसार कार्यवाही किया जाना स्वीकार किया गया।

4. विश्वविद्यालय में उपलब्ध पांडुलिपियों की प्रस्तुत की गयी संख्या की सूची के सम्बन्ध में श्री विनय आर्य ने कहा कि केन्द्रीय पुस्तकालय के रिकार्ड में कुल कितनी पाण्डुलिपियाँ दर्ज हैं तथा वर्तमान में उपलब्ध पाण्डुलिपियाँ कितनी है। इस सम्बन्ध में विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

5. विश्वविद्यालय में विधिक कार्यों हेतु विधि अधिकारी के नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में श्री नरिन्दर सिंह कटारिया ने कहा कि इस प्रकार की नियुक्ति किये जाने से पूर्व प्रबन्ध मण्डल में प्रस्ताव आना चाहिए ताकि प्रबन्ध मण्डल अपना सुझाव दे सके। इस सम्बन्ध में प्रो0 राजेन्द्र विद्यालंकार ने कहा कि कर्मचारियों की सर्विस से सम्बन्धित मामलों हेतु विधि अधिकारी रखा जाये, जोकि सीधे मान्य कुलपति जी को रिपोर्ट करे। भूमि से सम्बन्धित मामलों के लिये **Consultant** के रुप में किसी अनुभवी वरिष्ठ एडवोकेट जिसे कि न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव हो, को नियुक्त किया जा सकता है, जो भूमि से सम्बन्धित मामलों को स्पोंसरिंग सोसाईटी को रिपोर्ट करें तथा माननीय कुलपति जी को भी अवगत करायें ताकि समुचित सामंजस्य बना रहे। उक्त दोनों पदों पर नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी/अनुबन्ध आधार पर की जाये। इस सम्बन्ध में मान्य कुलपति जी ने कहा कि एक अनुभवी एडवोकेट का नाम के बारे में तीनों सभाऐं मिलकर विश्वविद्यालय को सुझाव दे सकती हैं। अतः उपर्युक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

6. डॉ0 हरीश चन्द्र के प्रोफेसर पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में गठित समिति की रिपोर्ट को सदन में रखा गया। उक्त रिपोर्ट पर प्रो0 राजेन्द्र विद्यालंकार ने कहा कि यदि प्रशासन स्तर पर कार्यवाही चल रही है तो प्रकरण पर कार्यवाही पूर्ण होने पर ही सदन द्वारा निर्णय लिया जायेगा। प्रो0 नवनीत ने सदन को अवगत कराया कि उक्त पद हेतु केवल डॉ0 हरीश चन्द्र एकमात्र अभ्यर्थी थे और नियमानुसार इन्हें प्रोफेसर पद हेतु 10 वर्ष का अनुभव नही है और जिस कालेज में यह पढ़ाते थे वह भी बन्द हो चुका है। प्रो0 राजेन्द्र विद्यालंकार ने कहा कि साक्षात्कार हेतु निम्न प्रकार से प्रक्रिया अपनायी जानी चाहिए:–

   i. प्रथम अवसर पर एक अभ्यर्थी पर साक्षात्कार नही किया जाना चाहिए।
   ii. द्वितीय अवसर पर भी एक अभ्यर्थी पर साक्षात्कार नही किया जाना चाहिए।
   iii. यदि तृतीय अवसर पर भी एक ही अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिये उपस्थित होता है तो एक अभ्यर्थी पर ही साक्षात्कार सम्पन्न कराया जा सकता है।

   प्रो0 राजेन्द्र विद्यालंकार ने कहा कि निजी शिक्षण संस्थाओं एवं अन्य संस्थाओं में की गयी सेवाओं को जोड़े जाने हेतु निम्न प्रक्रिया अपनायी जानी चाहिए:–

   - पद नियमानुसार विज्ञापित होना चाहिए तथा रिक्त पद का विज्ञापन राष्ट्रिय स्तर के समाचार पत्र में प्रकाशित होना चाहिए।
   - साक्षात्कार हेतु चयन समिति यू0जी0सी0 के प्रावधान एवं विश्वविद्यालय के अनुमोदित भर्ती नियमानुसार होनी चाहिए।
   - विज्ञापित पद की योग्यता यू0जी0सी0 के नियमानुसार पूर्ण होनी चाहिए।
   - अभ्यर्थी को चयनित एवं नियुक्ति होने पर यू0जी0सी0 के नियमानुसार पूर्ण वेतनमान दिया गया हो तथा नियुक्ति की अवधि 01 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
   - सम्बन्धित शिक्षक के वेतन का भुगतान बैंक के द्वारा किया गया हो।
   - अनुभव प्रमाण–पत्र में पदनाम एवं वेतनमान स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना चाहिए जिसमें प्राप्त अंतिम मूल वेतन भी अंकित होना चाहिए।
   - सम्बन्धित शिक्षक के पी0एफ0 एवं आयकर की कटौती होनी चाहिए।
   - सम्बन्धित शिक्षक का आई0टी0आर0 भरा होना चाहिए।
   - सम्बन्धित शिक्षक की सेवा–पुस्तिका (**Service Book**) नियमानुसार बनी होनी चाहिए।

   श्री नरिन्दर सिंह कटारिया एवं श्री विनय आर्य तथा प्रो0 एस0के0 श्रीवास्तव ने कहा कि यदि किसी शिक्षक द्वारा निजी संस्थान में की गयी सेवा को जोड़ा जाता है तो उपर्युक्त बिन्दुओं के अनुसार ही प्रक्रिया पूर्ण की जानी चाहिए तथा यह प्रक्रिया सभी पदों पर नियुक्ति हेतु लागू होनी चाहिए। अतः उपर्युक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

7. विश्वविद्यालय में सफाई एवं माली के कार्य को प्राईवेट एजेंसी के माध्यम से आरम्भ कराये जाने तथा सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा मान्य उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में वाद किये जाने के सम्बन्ध में कुलसचिव ने मान्य उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश से सदन को अवगत कराया।

प्रो0 राजेन्द्र विद्यालंकार एवं श्री विनय आर्य ने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा उक्त प्रकिया को अपनाये जाने से पूर्व सम्बन्धित व्यक्तियों की कमियों को बताया जाना चाहिए तथा सम्बन्धित व्यक्तियों की पत्रावली में कमियों से सम्बन्धित प्रपत्र पूर्ण करने चाहिए थे। तत्पश्चात् ही आगे की कार्यवाही की जानी चाहिए थी। श्री नरिन्दर सिंह कटारिया ने कहा कि यदि किसी पत्रावली पर विधिक राय लेनी है तो विधि कार्यालय से राय ली जानी आवश्यक है। "कुलसचिव ने सदन को अवगत कराया कि दिनांक 06.09.2002 (1-57/2001 (CPP-II) में निर्गत भारत सरकार की गाइड लाईन व विश्वविद्यालय में आई आडिट टीम की टिप्पणी/आपत्ति के आलोक में प्राईवेट एजेंसी के माध्यम से सफाई व माली के कार्य को कराया जाना सुनिश्चित किया गया था न कि कर्मचारियों के गुण–दोष के आधार पर।" उक्त विषय पर दिनांक 27.07.2020 को आयोजित हुई प्रबन्ध मण्डल की बैठक के प्रस्ताव संख्या 07 पर विस्तार से सदन में चर्चा भी की गयी थी।

8. डॉ0 नितिन भारद्वाज को पी0एच0–डी0 की दी गयी अग्रिम 05 वेतन वृद्वियों तथा पूर्व सेवाओं को जोड़े जाने के सन्दर्भ में प्रो0 एस0के0 श्रीवास्तव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा जो संस्तुति की गयी है उसे उपर्युक्त बिन्दु संख्या 06 के आलोक में समीक्षा करते हुए कार्यवाही किया जाना सदन द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

प्रस्ताव संख्या 04

समविश्वविद्यालय के शिक्षा पटल की बैठक दिनांक 07.03.2020 की कार्यवाही का अंकन हेतु प्रस्ताव ।

विश्वविद्यालय में दिनांक 07.03.2020 को मान्य कुलपति जी की अध्यक्षता में शिक्षा पटल की बैठक आयोजित की गयी थी। उक्त शिक्षा पटल की कार्यवाही के कुछ बिन्दुओं पर निम्न प्रकार से निर्णय लिये गयेः–

शिक्षा पटल के प्रस्ताव संख्या 06 :– इस प्रस्ताव पर प्रो0 राजेन्द्र विद्यालंकार ने कहा कि सम्बन्धित प्रस्ताव पर किस विभाग में कितने छात्र/छात्राओं द्वारा शोध हेतु प्रवेश लिया गया है, की संख्या का अंकन भविष्य में अवश्य होना चाहिए। श्री विनय आर्य ने कहा कि शिक्षा पटल में प्रत्येक वर्ष कितने छात्र/छात्राओं द्वारा प्रवेश लिया गया है तथा कितने छात्र/छात्राओं द्वारा प्रत्येक विषय/विभाग में पी–एच0डी0 पूर्ण की गयी है, उसकी सूची भी जारी की जानी चाहिए।

शिक्षा पटल के प्रस्ताव संख्या 07 :– इस प्रस्ताव पर प्रो0 राजेन्द्र विद्यालंकार ने कहा कि अंक सुधार हेतु स्पष्ट नियम बनाये जाने चाहिए। यदि अंक सुधार हेतु कोई नियम बनाये गये हैं तथा उनमें कोई संशोधन किया जाना है तो सर्वप्रथम उसे शिक्षा पटल में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। श्री विनय आर्य ने कहा कि विश्वविद्यालय में अंक सुधार परीक्षा से सम्बन्धित एक प्रकरण सोशल मीडिया पर प्रचलित हो रहा है, जिससे विश्वविद्यालय की छवि धूमिल हो रही है। कुलसचिव ने सदन को अवगत कराया कि मान्य कुलपति द्वारा सम्प्रति अंक सुधार प्रक्रिया को अमान्य करते हुए उक्त प्रकरण पर जांच हेतु एक समिति का गठन किया गया है। समिति की संस्तुति/रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त तदनुसार कार्यवाही की जायेगी।

शिक्षा पटल की कार्यवाही पर उपर्युक्त निर्णय के अनुसार अंकन किया गया है।

प्रस्ताव संख्या 05

समविश्वविद्यालय में अनुरक्षण अनुदान के अन्तर्गत कॅरियर एडंवासमेन्ट स्कीम (CAS) से सम्बन्धित प्रोन्नति हेतु स्कीनिंग–कम–मूल्यांकन एवं साक्षात्कार समिति की बैठक दिनांक 04.02.2020, 06.02.2020, 07.02.2020, 08.02.2020 एवं 10.02.2020 की संस्तुतियों की स्वीकृति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

विश्वविद्यालय में अनुरक्षण अनुदान के अन्तर्गत नियुक्त शिक्षकों के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नियमन–2010 के अनुसार कॅरियर एडवांसमेन्ट स्कीम (CAS) के अन्तर्गत प्रोन्नति हेतु स्क्रीनिंग–कम–मूल्यांकन एवं साक्षात्कार समिति की बैठक दिनांक 04.02.2020, 06.02.2020, 07.02.2020, 08.02.2020 एवं 10.02.2020 की संस्तुतियों के अनुसार निम्न शिक्षक/शिक्षिकाओं की उनके सम्मुख अंकित पदों पर प्रोन्नति की गयी है।

क्र0 सं0	नम शिक्षक/शिक्षिकाएं	प्रोन्नत पदनाम	स्क्रीनिंग–कम–मूल्यांकन/साक्षात्कार तिथि	प्रोन्नति तिथि
1.	डॉ0 राकेश गिरी	एसोसिएट प्रोफेसर (स्टेज–04) से प्रोफेसर (स्टेज–05)	07.02.2020	24.04.2018
2.	डॉ0 अरुण कुमार	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (स्टेज–03) से एसोसिएट प्रोफेसर (स्टेज–04)	07.02.2020	03.04.2016
3.	डॉ0 मृदुल जोशी	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (स्टेज–03) से एसोसिएट प्रोफेसर (स्टेज–04)	06.02.2020	18.10.2018
4.	डॉ0 मंजुषा कौशिक	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (स्टेज–03) से एसोसिएट प्रोफेसर (स्टेज–04)	08.02.2020	18.10.2018
5.	डॉ0 वीना विश्नोई शर्मा	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (स्टेज–03) से एसोसिएट प्रोफेसर (स्टेज–04)	04.02.2020	18.10.2018
6.	डॉ0 दीपा गुप्ता	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (स्टेज–03) से एसोसिएट प्रोफेसर (स्टेज–04)	10.02.2020	18.10.2018
7.	डॉ0 सुरेन्द्र कुमार	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (स्टेज–03) से एसोसिएट प्रोफेसर (स्टेज–04)	07.02.2020	22.03.2019
8.	डॉ0 मौहर सिंह मीणा	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (स्टेज–01) से असिस्टेन्ट प्रोफेसर (स्टेज–02)	04.02.2020	28.10.2013
9.	डॉ0 कुशवाहा दिलीप कुमार	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (स्टेज–01) से असिस्टेन्ट प्रोफेसर (स्टेज–02)	10.02.2020	31.03.2017

उपर्युक्त प्रस्ताव पर प्रो0 एस0के0 श्रीवास्तव ने सदन को अवगत कराया कि क्र0सं0 01 पर अंकित शिक्षक डॉ0 राकेश गिरी द्वारा विश्वविद्यालय पर एक वाद दायर किया गया है। अतः इन्हें वाद के निस्तारण तक CAS प्रोन्नति का लाभ नही दिया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में कुलसचिव ने कहा कि विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 17.05.2015 के प्रस्ताव संख्या 11 में सदन द्वारा निर्णय लिया गया था कि यदि वाद सम्बन्धित विषयक है तो वाद वापस लिये जाने के पश्चात् ही यह लाभ सम्बन्धित कर्मचारी को दिया जाये। चूंकि डॉ0 राकेश गिरी द्वारा जो वाद मान्य उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में दायर किया गया है वह इनके वेतन से कटौती की जा रही राशि के सम्बन्ध में है न की प्रोन्नति के सम्बन्ध में। श्री विनय आर्य ने कहा कि इस प्रस्ताव में डॉ0 राकेश गिरी से सम्बन्धित वाद का भी विवरण रखना चाहिए था। श्री नरिन्दर सिंह कटारिया ने कहा कि यदि डॉ0 राकेश गिरी द्वारा कोई भी वाद विश्वविद्यालय के खिलाफ दायर किया गया है तो श्रेयष्कर होगा कि इन्हें CAS प्रोन्नति का लाभ वाद वापस लेने अथवा न्यायालय द्वारा सम्बन्धित वाद पर अंतिम निर्णय दिये जाने के बाद दिया जाये।

अतः डॉ0 राकेश गिरी के अतिरिक्त उपर्युक्त अन्य 08 शिक्षक/शिक्षिकाओं के कॅरियर एडवांसमेन्ट स्कीम (CAS) के अन्तर्गत प्रोन्नति को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया है।

प्रस्ताव संख्या 06

प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 27.07.2020 के प्रस्ताव संख्या 08 के अनुसार समविश्वविद्यालय में शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के पदों पर सीधी भर्ती एवं पदोन्नति हेतु बनाये गये रिक्रूटमेन्ट रुल्स को रिव्यू किये जाने हेतु गठित समिति की संस्तुति का प्रस्ताव।

विश्वविद्यालय के शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के पदों पर सीधी भर्ती एवं पदोन्नति हेतु नियुक्त किये जाने हेतु पूर्व में प्रो0 वी0के0 सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। उक्त के आलोक में समिति द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासन को प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट/संस्तुति को प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 27.07.2020 के प्रस्ताव संख्या 08 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया था कि प्रो0 वी0के0 सिंह की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रस्तुत किये गये

रिपार्ट के निरीक्षण हेतु प्रो0 एस0के0 श्रीवास्तव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाये। प्रो0 एस0के0 श्रीवास्तव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अपनी संस्तुति विश्वविद्यालय प्रशासन को प्रेषित कर दी गयी है।

उक्त रिव्यू किये गये रिक्रूटमेन्ट रुल्स के सम्बन्ध में प्रो0 एस0के0 श्रीवास्तव ने कहा कि रिव्यू किये गये रिक्रूटमेन्ट रुल्स के पृ0सं0 35 (सहायक अभियन्ता–सिविल) तथा पृ0सं0 41 (सुरक्षा अधिकारी) के पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने का अंकन किया गया है। उक्त पदों को विशेष परिस्थितियों में आवश्यकतानुसार प्रतिनियुक्ति के आधार पर भी भरा जा सकता है। अतः उक्त दोनों पदों को प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती के आधार पर भरे जाने का प्रस्ताव पारित किया गया।

प्रो0 एस0के0 श्रीवास्तव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा रिक्रूटमेंट रुल्स के सम्बन्ध में प्रस्तुत रिपोर्ट को उपर्युक्त संशोधन के अनुसार स्वीकृत किया गया है।

प्रस्ताव संख्या 07

प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 27.07.2020 के प्रस्ताव संख्या 09 के अनुसार स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत संकाय एवं विभागों में नियुक्त किये जाने के लिए शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के सम्बन्ध में बनाये गये सेवा शर्तों एवं नियमावली हेतु गठित रिव्यू समिति की संस्तुति का प्रस्ताव।

विश्वविद्यालय के स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत संकाय एवं विभागों में भविष्य में नियुक्त किये जाने हेतु पूर्व में श्री नवीन सोई, डायरेक्टर फाईनेन्स (सेवानिवृत्त) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। उक्त के आलोक में समिति द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासन को प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट/संस्तुति को प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 27.07.2020 के प्रस्ताव संख्या 09 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया था कि श्री नवीन सोई की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रस्तुत की गयी रिपार्ट के निरीक्षण (Check) हेतु प्रो0 राजेन्द्र विद्यालंकार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाये। प्रो0 राजेन्द्र विद्यालंकार की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा स्ववित्त पोषित संकायों एवं विभागों हेतु सेवा शर्तो एवं नियमावली के सम्बन्ध में की गयी संस्तुति विश्वविद्यालय प्रशासन को प्रेषित कर दी गयी है।
विश्वविद्यालय के शिक्षकेत्तर कर्मचारी यूनियन द्वारा दिनांक 24.11.2020 को प्रेषित पत्र में अंकन किया गया है कि स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत चल रहे सभी संकाय एवं विभाग में स्थायी रुप से कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी लगभग 18–20 वर्षों से विश्वविद्यालय की प्रगति में निरन्तर अपना सहयोग कर रहे हैं तथा इस सम्बन्ध में इनके द्वारा दिनांक 19.12.2019 को विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ लिखित रुप में हुए समझौते का भी वर्णन करते हुए अनुरोध किया है कि प्रो0 राजेन्द्र विद्यालंकार की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा स्ववित्त पोषित संकायों एवं विभागों हेतु सेवा शर्तो एवं नियमावली के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों को भविष्य में नियुक्त होने वाले शिक्षक एवं कर्मचारियों पर ही लागू की जाये।

गठित समिति द्वारा प्रस्तुत की गयी संस्तुति/रिपोर्ट को कुलसचिव द्वारा सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। जिसमें निर्णय लिया गया कि उक्त नियमावली वर्तमान में कार्यरत तथा भविष्य में नियुक्त होने वाले सभी कर्मचारियों पर लागू होगी। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि नियमावली में अंकित बिन्दु संख्या 3.8 को हटा दिया जाये तथा बिन्दु संख्या 12.1 में Permanent Non-Teaching employees **के साथ** including non-vacational post **का भी अंकन कर लिया जाये। बिन्दु संख्या 17.6 में** Future **शब्द को** Delete **कर लिया जाये। बिन्दु संख्या 17.8 के अन्तर्गत चतुर्थ पंक्ति से** in **शब्द को** Delete **कर लिया जाये।**

उक्त रिपोर्ट में बिन्दु संख्या 8.6 के अन्तर्गत 2% annual increment shall be given in the month of January every year, after completion of one year continuous service for contract/adhoc employees **को जोड़ लिया जाये।**
अतः गठित समिति द्वारा प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट/संस्तुति को उक्त संशोधनों के साथ सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

चर्चा के दौरान प्रो0 राजेन्द्र विद्यालंकार व प्रो0 एस0के0 श्रीवास्तव ने कहा कि स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत स्थायी रुप से कार्यरत शिक्षक/ शिक्षकेत्तर कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों (सेवा–पुस्तिका में अंकित रिकॉर्ड के अनुसार) को ग्रुप मेडिकल/हैल्थ इंश्योरेन्स की सुविधा दिनांक 01.04.2021 से दी जानी चाहिए। जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। इस सम्बन्ध में मान्य कुलपति जी द्वारा एक समिति का गठन करके कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। समिति का गठन निम्न प्रकार से किया गया–

1. प्रो. वी.के. सिंह – अध्यक्ष
2. डॉ. आर.के. शुक्ला – सदस्य
3. डॉ. कपिल गोयल – सदस्य
4. श्री दीपक वर्मा – सदस्य
5. डॉ. निशान्त – संयोजक

प्रस्ताव संख्या 08

समविश्वविद्यालय के अनुरक्षण अनुदान एवं स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत विभिन्न विभागों में शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के फिक्स वेतन पर अस्थायी (तदर्थ) नियुक्ति सम्बन्धी विभिन्न चयन समितियों की संस्तुतियों की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव।

विश्वविद्यालय में दिनांक 16.09.2020 से 05.10.2020 तक के वॉक–इन–इन्टरव्यू के माध्यम से चयन समितियों की संस्तुति के आलोक में निम्न शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को फिक्स वेतन पर अस्थायी (तदर्थ) के रुप में नियुक्ति प्रदान की गयी है। उक्त नियुक्तियां वर्तमान में विभागों के शैक्षणिक वर्कलोड के आधार पर पूर्णतः अस्थायी रुप से की गयी है।

क0 सं0	नाम	पदनाम	विभाग	साक्षात्कार तिथि	कार्यभार ग्रहण तिथि	कार्य अवधि
1.	श्री गौरव कुमार पुत्र श्री भगवान दास	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	इलैक्ट्रीकल इंजीनियरिंग	03.10.2020	15.10.2020	11.07.2022
2.	श्री बिपिन कुमार निषाद पुत्र श्री रामजी निषाद	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	इलैक्ट्रीकल इंजीनियरिंग	03.10.2020	14.10.2020	11.07.2022
3.	श्री अंकुश शर्मा पुत्र श्री खुशीराम शर्मा	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	इलैक्ट्रीकल इंजीनियरिंग	03.10.2020	12.10.2020	11.07.2022
4.	डॉ0 आशीष धमान्दा पुत्र श्री राजपाल सिंह धमान्दा	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	इलैक्ट्रीकल इंजीनियरिंग	03.10.2020	08.10.2020	11.07.2022
5.	श्री अमन त्यागी पुत्र श्री सुभाष त्यागी	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	सी0एस0सी0	01.10.2020	08.10.2020	11.07.2022
6.	श्री दीपक पैन्यूली पुत्र श्री जुगल किशोर पैन्यूली	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	सी0एस0सी0	01.10.2020	08.10.2020	11.07.2022
7.	डॉ0 अमन त्यागी पुत्र श्री जी0एस0 त्यागी	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	सी0एस0सी0	01.10.2020	12.10.2020	11.07.2022
8.	श्री अश्वनी पुत्र श्री अनिल कुमार	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	सी0एस0सी0	01.10.2020	08.10.2020	11.07.2022
9.	श्री सुमित बंसल पुत्र श्री सुभाष चन्द	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	सी0एस0सी0	01.10.2020	08.10.2020	11.07.2022
10.	श्री मंयक पोखरियाल पुत्र श्री देवेन्द पोखरियाल	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	मैकेनिकल इंजीनियरिंग	03.10.2020	02.11.2020	11.07.2022
11.	श्री योगेश कुमार पुत्र श्री गिरवर सिंह	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	मैकेनिकल इंजीनियरिंग	03.10.2020	08.10.2020	11.07.2022
12.	श्री विवेक आर्य पुत्र डॉ0 सोहनपाल आर्य	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	ई0सी0ई0	01.10.2020	08.10.2020	11.07.2022
13.	डॉ0 सत्येन्द्र कुमार राजपूत पुत्र श्री शिववरण सिंह	प्रोफेसर	भेषज विज्ञान	16.09.2020	25.09.2020	24.09.2025
14.	श्री नरेश कुमार रागडा पुत्र श्री कर्म सिंह रागडा	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	भेषज विज्ञान	16.09.2020	24.09.2020	30.06.2022
15.	श्री राहुल सिंह पुत्र श्री राजबहादूर सिंह	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	भेषज विज्ञान	16.09.2020	21.09.2020	30.06.2022
16.	डॉ0 अजित पुत्र श्री श्रीकान्त	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	भेषज विज्ञान	16.09.2020	20.12.2020	30.06.2022
17.	श्री कपिल पाण्डेय पुत्र श्री देशराज पाण्डेय	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	प्रबन्ध अध्ययन	30.09.2020	12.10.2020	11.07.2022

18.	श्री अमित अग्रवाल पुत्र श्री सुशील अग्रवाल	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	प्रबन्ध अध्ययन	30.09.2020	03.10.2020	11.07.2022
19.	डॉ0 मिथलेश कुमार पाण्डेय पुत्र डॉ0 भगवानदेव पाण्डेय	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	प्रबन्ध अध्ययन	30.09.2020	03.10.2020	11.07.2022
20.	श्री व्योमकेश भट्ट पुत्र श्री विनोद प्रकाश भट्ट	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	प्रबन्ध अध्ययन	30.09.2020	03.10.2020	11.07.2022
21.	डॉ0 मिहिर जोशी पुत्र डॉ0 प्रदीप जोशी	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	प्रबन्ध अध्ययन	30.09.2020	03.10.2020	11.07.2022
22.	डॉ0 बिन्दु मलिक पुत्री श्री सत्यप्रकाश शर्मा	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	शा0शिक्षा एवं खेल	24.09.2020	26.09.2020	30.06.2022
23.	श्री कनिक पुत्र श्री सुभाष कौशल	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	शा0शिक्षा एवं खेल	24.09.2020	26.09.2020	30.06.2022
24.	डॉ0 सुनील कुमार पुत्र श्री रमेश सिंह	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	गणित एवं सांख्यिकी	30.09.2020	12.10.2020	31.05.2021
25.	डॉ0 संदीप यादव पुत्र श्री रामचन्द्र यादव	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	हिन्दी	05.10.2020	13.10.2020	31.05.2021
26.	डॉ0 रामबाबू पुत्र श्री रणजीत सिंह	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	हिन्दी	05.10.2020	08.10.2020	इनके द्वारा त्यागपत्र दिया जा चुका है।
27.	डॉ संदीप पुत्र हवा सिंह	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	वेद	28.09.2020	01.10.2020	31.05.2021
28.	डॉ0 मनोज कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश सिंह	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	दर्शन	26.09.2020	30.09.2020	31.05.2021
29.	डॉ0 नेहा बत्रा पुत्री श्री राजकुमार बत्रा	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	भौतिकी	30.09.2020	20.10.2020	31.05.2021
30.	डॉ0 अर्चना डिमरी पुत्री श्री कुलानन्द कोठियाल	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	इतिहास	28.09.2020	01.10.2020	31.05.2021
31.	डॉ0 रचना पाण्डेय पुत्री श्री रामाधर पाण्डेय	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	चित्रकला	05.10.2020	09.10.2020	31.05.2021
32.	डॉ0 मीरा त्यागी पुत्री श्री माया प्रकाश त्यागी	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	दर्शन	26.09.2020	29.09.2020	31.05.2021
33.	डॉ0 प्राची आर्य पुत्री अनिल कुमार आर्य	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	संस्कृत	29.09.2020	01.11.2020	31.05.2021
34.	डॉ0 संदीप कुमार पुत्र श्री पिताम्बर सिंह	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	योग विज्ञान	29.09.2020	01.10.2020	31.05.2021
35.	डॉ0 सत्यानन्द पुत्र श्री सचिदानन्द प्रसाद	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	योग विज्ञान	29.09.2020	03.10.2020	31.05.2021
36.	डॉ0 पवन कुमार पुत्र श्री ज्वालाप्रसाद	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	योग विज्ञान	29.09.2020	03.10.2020	31.05.2021
37.	डॉ0 समीर कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री सतीश चन्द	चिकित्सक	एफ0ई0टी0	25.09.2020	13.10.2020	30.09.2021
38.	श्री विशाल पुत्र श्री रामकुमार	अवर श्रेणी लिपिक	लेखा अनुभाग	24.09.2020	01.10.2020	30.09.2021

उक्त प्रस्ताव पर श्री विनय आर्य ने कहा कि सूची में सम्बन्धित शिक्षकों की कार्य अवधि एवं नियुक्ति की कैटेगरी (अनुरक्षण/स्ववित्त पोषित) का भी अंकन किया जाना चाहिए। इसी प्रस्ताव के अन्तर्गत प्रो0 एस0के0 श्रीवास्तव ने सदन को अवगत कराया कि विश्वविद्यालय में फिक्स वेतन पर कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को दूसरी कार्य अवधि बढ़ाये जाने पर 02–03 दिन का अन्तराल (Gap) दिया जाता है, परन्तु ओ0बी0सी0 अनुदान के अन्तर्गत फिक्स वेतन पर कार्यरत 07 शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को 2016 से वर्तमान कार्य अवधि तक कोई भी अन्तराल (Gap) नही दिया गया है। अतः अन्य फिक्स वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों की भाति उक्त 07 कर्मचारियों के कार्य अवधि में अन्तराल (Gap) दिया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में कुलसचिव ने कहा कि उक्त ओ0बी0सी0 अनुदान के अन्तर्गत फिक्स वेतन पर कार्यरत 07 शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को जारी नियुक्ति पत्रों में स्पष्ट अंकन किया गया है कि इनकी यह सेवाऐं किसी भी उद्देश्य के लिये नही जोड़ी जायेंगी तथा भविष्य में पदों को नियमित रुप से भरे जाने पर नियमितिकरण हेतु इनका कोई अधिकार नही होगा। अतः कार्य अवधि में अन्तराल देने की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। श्री नरिन्दर सिंह कटारिया ने कहा कि यदि अन्य फिक्स कर्मचारियों को कार्य अवधि में अन्तराल (Gap) दिया जाता है तो ओ0बी0सी0 अनुदान के अन्तर्गत फिक्स वेतन पर कार्यरत 07 शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की कार्य अवधि में भी अन्तराल (Gap) दिया जाना चाहिए।

अतः प्रस्तावनुसार वॉक–इन–इन्टरव्यू के माध्यम से चयन किये गये शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को फिक्स वेतन पर अस्थायी (तदर्थ) के रुप में नियुक्ति को स्वीकृत किया गया तथा ओ0बी0सी0 अनुदान के अन्तर्गत फिक्स वेतन पर कार्यरत 07 शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के कार्य अवधि में भी 2/3 दिन का अन्तराल (Gap) दिया जाना भी स्वीकृत किया गया।

प्रस्ताव संख्या 09

समविश्वविद्यालय में रिक्त कुलसचिव पद हेतु MoA के बिन्दु संख्या 28 के अनुसार साक्षात्कार हेतु गठित समिति में प्रबन्ध मण्डल द्वारा दो सदस्यों को नामित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 27.07.2020 में निर्णय लिया गया था कि उक्त प्रस्ताव आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में प्रस्तुत किया जाये। अतः रिक्त कुलसचिव पद हेतु MoA के बिन्दु 28 के अनुसार साक्षात्कार हेतु गठित समिति में प्रबन्ध मण्डल द्वारा निम्न प्रकार से दो सदस्यों को नामित किया जाना है।

1. प्रबन्ध मण्डल द्वारा नामित सदस्य
2. प्रबन्ध मण्डल द्वारा वाह्य विशेषज्ञ के रुप में नामित सदस्य (जिसका सम्बन्ध विश्वविद्यालय से न हो)

उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय में वित्ताधिकारी के रिक्त पद का भी विज्ञापन दिया जा चुका है। चूंकि वित्ताधिकारी पद का वेतन लेवल कुलसचिव पद के वेतन लेवल के समकक्ष अर्थात् वेतन लेवल–14 में स्वीकृत है। अतः प्रबन्ध मण्डल द्वारा जो सदस्य कुलसचिव पद के साक्षात्कार समिति हेतु नामित किये जायेंगें उन्हें ही वित्ताधिकारी के रिक्त पद पर गठित होने वाली साक्षात्कार समिति में भी नामित किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त प्रस्ताव पर श्री विनय आर्य ने कुलसचिव एवं वित्त अधिकारी के पद पर साक्षात्कार समिति हेतु बिन्दु 01 के आलोक में प्रो0 राजेन्द्र विद्यालंकार को प्रबन्ध मण्डल द्वारा नामित सदस्य के रुप में नामित किया तथा बिन्दु 02 के आलोक में मान्य कुलपति जी को वाह्य सदस्य नामित किये जाने हेतु अधिकार दिया गया।

अतः उपर्युक्तानुसार प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

प्रस्ताव संख्या 10

समविश्वविद्यालय के छात्रावास में वार्डन के रुप में फिक्स वेतन पर अस्थायी रुप से कार्यरत डॉ0 संजील कुमार के नियुक्ति प्रकरण के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

विश्वविद्यालय के छात्रावास में वार्डन के रुप में फिक्स वेतन पर अस्थायी रुप से कार्यरत डॉ0 संजील कुमार द्वारा अपनी नियुक्ति को नियमित एवं निरन्तर वेतनमान में बहाल किये जाने हेतु पूर्व में प्रार्थना–पत्र प्रेषित किये गये थे। इनके इस विश्वविद्यालय में नियुक्ति से सम्बन्धित विवरण निम्न प्रकार से हैः–

1. दिनांक 23.09.2000 को जारी विज्ञापन के अनुसार दिनांक 28.09.2020 को हुए साक्षात्कार के आधार पर डॉ0 संजील कुमार को स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत वॉक–इन–इण्टरव्यू के माध्यम से अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय के अन्तर्गत जूनियर असिस्टेन्ट (होस्टल) के अस्थायी पद पर वेतनमान रु.3050–4590 में देय अन्य भत्तों सहित एक वर्ष हेतु अस्थायी रुप से नियुक्त किया गया था। पुनः डॉ0 संजील कुमार को दिनांक 01.10.2001 को जारी नियुक्ति आदेश के अनुसार दिनांक 01.10.2001 से 31.03.2002 तक कार्य अवधि बढ़ायी गयी थी।
2. दिनांक 17.04.2002 से 15.05.2002 तक पुनः इनकी कार्य अवधि अस्थायी रुप से फिक्स वेतन रु.3500/– प्रतिमाह पर बढ़ायी गयी थी।

3. दिनांक 16.05.2002 से 15.12.2013 तक की अवधि में डॉ0 संजील कुमार का कार्यकाल नही बढ़ाया गया था।
4. डॉ0 संजील कुमार को तत्कालीन संकायाध्यक्ष, स्ववित्त पोषित अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय की संस्तुति के आधार पर प्रशासन द्वारा बी0टैक0 छात्रावास में वार्डन के पद पर अस्थायी रुप से फिक्स वेतन रु.15000/–प्रतिमाह पर पुनः दिनांक 16.12.2013 से नियुक्त किया गया था एवं तत्समय से समय–समय पर आवश्यकतानुसार इनकी कार्य अवधि बढ़ायी जाती रही हैं। वर्तमान में डॉ0 संजील कुमार वार्डन के रुप में अस्थायी रुप से फिक्स वेतन पर कार्य कर रहे है तथा इन्हें रु.25140/– प्रतिमाह फिक्स मानदेय का भुगतान किया जा रहा है।

उक्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि डॉ0 संजील कुमार के नियुक्ति के प्रकरण के सन्दर्भ में प्रो0 आर0डी0 कौशिक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति द्वारा संस्तुति की गयी थी कि डॉ0 संजील कुमार के पक्ष में प्रशासन द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए उन्हें न्याय दिया जाये।

डॉ0 संजील कुमार द्वारा अपने उपर्युक्त नियुक्ति के सम्बन्ध में मान्य उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड–नैनीताल में वाद संख्या 2699 of 2017 दायर किया गया है, जिस पर अभी तक कोई निर्णय नही हुआ है। इस सम्बन्ध में डॉ0 संजील कुमार को दिनांक 23.01.2020 को पत्र के माध्यम से भी अवगत करा दिया गया था कि "आपकी सेवा से सम्बन्धित एक वाद (संख्या WPSS 2699 of 2017) दायर की गयी है, जो अभी मान्य उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड में विचाराधीन है। अतः मान्य उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड के द्वारा उक्त वाद पर आदेश/निर्णय दिये जाने के उपरान्त ही विश्वविद्यालय द्वारा आपके प्रार्थना–पत्र पर कार्यवाही की जा सकेंगी।"

उक्त प्रस्ताव पर श्री नरिन्दर सिंह कटारिया ने कहा कि पूर्व में प्रबन्ध मण्डल में हुए निर्णय (वाद के सम्बन्ध में) के अनुसार ही कार्यवाही किया जाये तथा उक्त प्रक्रिया सभी शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों पर समान रुप से लागू होनी चाहिए। यहाँ सामान्यतः सभी सदस्यों की इस बिन्दु पर एक राय थी कि चूंकि डॉ0 संजील कुमार दिनांक 16.05.2002 से 15.12.2013 तक की अवधि में विश्वविद्यालय की सेवा में नही थे। अतः इन्हें उक्त अवधि का कोई भी लाभ नही दिया जा सकता है। कुलसचिव ने अवगत कराया कि इनके द्वारा दिनांक 23.09.2019 को वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में दिये प्रार्थना–पत्र के आलोक में इन्हें दिनांक 23.01.2020 को सूचित कर दिया गया था कि मान्य उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में इनके द्वारा दायर वाद पर आदेश/निर्णय आने के उपरान्त ही विश्वविद्यालय द्वारा इनके प्रार्थना–पत्र पर विचार किया जा सकेगा।

उक्त के आलोक में श्री विनय आर्य ने कहा कि दिनांक 23.09.2000 को जारी विज्ञापन के अनुसार कुछ पदों पर स्थायी नियुक्ति दी गयी थी, उसी विज्ञापन के अन्तर्गत डॉ0 संजील कुमार को एक वर्ष हेतु पूर्ण वेतनमान में नियुक्ति प्रदान की गयी थी। प्रो0 राजेन्द्र विद्यालंकार एवं श्री नरिन्दर सिंह कटारिया ने कहा कि इनके द्वारा वाद वापस लिये जाने अथवा वाद पर मान्य न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय/आदेश दिये जाने के पश्चात् ही प्रबन्ध मण्डल की अनुमति से कार्यवाही की जा सकेगी।

अतः उपर्युक्तानुसार प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

प्रस्ताव संख्या 11

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा स्थायी शिक्षकेत्तर कर्मचारियों हेतु लागू MACP योजना का लाभ दिये जाने के सन्दर्भ में प्रस्ताव।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा स्थायी शिक्षकेत्तर कर्मचारियों हेतु लागू MACP योजना का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में पत्र संख्या 1-/2020 (JCRC) दिनांकित 09.06.2020 के साथ भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के दिनांक 22.10.2019 के कार्यालय–ज्ञापन को संलग्न करते हुए दिशा–निर्देशों के साथ प्रेषित किया गया है। अतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा एम0ए0सी0पी0 योजना के सम्बन्ध में प्रेषित पत्र को विश्वविद्यालय के स्थायी शिक्षकेत्तर कर्मचारियों पर लागू किया जाना है।

उक्त प्रस्ताव के अन्तर्गत प्रो0 राजेन्द्र विद्यालंकार ने जानना चाहा कि शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की भांति शिक्षकों के द्वारा भी स्व–आंकलन अथवा ए0पी0आर0 भरी जाती है अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में प्रो0 एस0के0 श्रीवास्तव एवं प्रो0 नवनीत ने अवगत कराया कि पूर्व में शिक्षकों द्वारा स्व–आंकलन पूर्ण किये जाते थे, परन्तु विगत कुछ वर्षों से शिक्षकों द्वारा स्व–आंकलन अथवा ए0पी0आर0 पूर्ण नहीं किये जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में प्रो0 राजेन्द्र विद्यालंकार एवं श्री विनय आर्य ने कहा कि सभी शिक्षकों द्वारा स्व–आंकलन/ए0पी0आर0 भरी जानी चाहिए। जिन शिक्षकों के द्वारा स्व–आंकलन अथवा ए0पी0आर0 प्रत्येक वर्ष पूर्ण नही की जाती हैं, उनकी प्रोन्नति से सम्बन्धित कार्यवाही पूर्ण न की जाये तथा वार्षिक वेतन–वृद्वि ए0पी0आर0 भरने के बाद ही दी जाये।

अतः प्रस्ताव पर उपर्युक्तानुसार कार्यवाही किया जाना स्वीकृत किया गया तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के पत्र संख्या 1-/2020 (JCRC) दिनांकित 09.06.2020 के अनुसार विश्वविद्यालय में स्थायी रुप से नियुक्त शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को MACP योजना का लाभ दिये जाने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है।

प्रस्ताव संख्या 12

समविश्वविद्यालय में सोलर ऊर्जा के महत्व को देखते हुए सोलर पावर प्लांट लगाये जाने के सन्दर्भ में प्रस्ताव।

भारत सरकार द्वारा वर्तमान में सोलर ऊर्जा के क्षेत्र को महत्व दिया जा रहा है। अतः विश्वविद्यालय में 400–500 किलो वॉट का एक सोलर ऊर्जा प्लांट लगाया जाना प्रस्तावित है। इस प्लांट हेतु भारत सरकार के द्वारा अधिकृत फर्मों से सम्पर्क कर कार्य कराया जायेगा तथा बिजली की दरें भी वर्तमान में विश्वविद्यालय द्वारा देय दरों के सापेक्ष कम रहेंगी। जिससे विश्वविद्यालय को आर्थिक लाभ हो सकेगा। विश्वविद्यालय में National Institutional Ranking Framework (NIRF) ranking एवं National Assesment & Accreditation Council (NAAC) से उत्तम ग्रेड प्राप्त करने हेतु सोलर ऊर्जा से सम्बन्धित जानकारी/आंकड़ों का Weightage होता है।

उक्त प्रस्ताव पर श्री विनय आर्य ने कहा कि इस तरह के प्रस्ताव विश्वविद्यालय के प्लानिंग एवं मॉनटिरिंग बोर्ड में जाने चाहिए। प्रो0 राजेन्द्र विद्यालंकार ने कहा कि उपर्युक्त प्रकिया हेतु निम्न प्रकार से कार्यवाही की जानी अपेक्षित है:–

1. **सोलर पावर प्लांट लगाये जाने में विश्वविद्यालय द्वारा कोई भी धनराशि खर्च नही की जायेगी।**
2. **सोलर पावर प्लांट की देखरेख सम्बन्धित कम्पनी द्वारा ही की जायेगी।**
3. **बिजली की दरें कम होने पर सम्बन्धित कम्पनी को अपनी दरें कम करनी होगी।**
4. **जिस माह/अवधि में सोलर ऊर्जा का उपयोग नही होगा, उस माह/अवधि का भुगतान सम्बन्धित कम्पनी को नही किया जायेगा।**

मान्य कुलपति जी द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि सोलर पावर प्लांट लगाये जाने में विश्वविद्यालय को कोई भी धनराशि खर्च नही करनी होगी। केवल विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालीयीय भवनों की छतों का स्थान उपलब्ध कराना है। श्री नरिन्दर सिंह कटारिया ने कहा कि इस सम्बन्ध में सरकारी/गैर सरकारी

संस्थाओं से सम्पर्क कर किसी अच्छी कम्पनी से जिनको सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में काफी अनुभव हो, प्रक्रिया की जाये।

उक्त प्रस्ताव को सैद्वान्तिक रुप से स्वीकार किया गया तथा उपर्युक्तानुसार कार्यवाही की जानी स्वीकार की गयी।

प्रस्ताव संख्या 13

समविश्वविद्यालय में औषधि पादप वाटिका, नर्सरी विकास, लैण्ड स्कैपिंग, वेस्ट मैनेजमेन्ट एवं कम्पोस्टिंग के कार्यो तथा पक्षी अध्ययन एवं संरक्षण केन्द्र के गठन के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

NIRF एवं NAAC के द्वारा शोध कार्यों की गुणवत्ता के अतिरिक्त सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट, लैन्डस्कैपिंग, आउटरीच प्रोग्राम, इनवायरनमेंट ऑडिट, इनवायरनमेन्टल कन्जरवेशन, कोलेबोरेटिव रिसर्च, क्लीन एवं ग्रीन कैम्पस इत्यादि गतिविधियों को समुचित महत्व दिया जाता है तथा इनके कियान्वयन हेतु ग्रेडिंग–अंक प्रदान किये जाते हैं। विश्वविद्यालय में वर्तमान में औषधि पादप उद्यान एवं नर्सरी विकास, वेस्ट मैनेजमेन्ट एवं कम्पोस्टिंग, लैन्डस्कैपिंग प्रबन्धन आदि कार्यों हेतु मान्य कुलपति जी के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय में इन विषयों के उपलब्ध विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न समितियों / विभागों के माध्यम से कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

आउटरीच प्रोग्राम के अन्तर्गत एवं गुणवत्ता–परख शोध के लिये प्रस्तावित है कि विश्वविद्यालय में एक 'पक्षी अध्ययन एवं संरक्षण केन्द्र' की स्थापना की जाये। पक्षी विज्ञान के अनेक पहलुओं यथा पक्षी विविधता, पक्षी संवाद, पक्षी प्रवास, संकटग्रस्त पक्षियों के संरक्षण, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित पक्षी विज्ञान प्रयोगशालाओं से जुड़कर संयुक्त शोध करने आदि के क्षेत्र में विश्वविद्यालय में एक पक्षी विशेषज्ञ (प्रो0 दिनेश चन्द्र भट्ट) उपलब्ध हैं, जो 31 मार्च 2021 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अतः प्रस्तावित है कि उनकी विशेषज्ञता का लाभ विश्वविद्यालय द्वारा लिया जा सकता है तथा प्रारम्भ में उनकी एक वर्ष हेतु उपर्युक्त प्रस्तावित 'पक्षी अध्ययन एवं संरक्षण केन्द्र' के निदेशक (अवैतनिक) के रुप में सेवाऐं ली जा सकती हैं।

उक्त प्रस्ताव पर प्रो0 नवनीत ने कहा कि यदि सेवानिवृत्त होने के उपरान्त अवैतनिक रुप से शिक्षकों को रखा जाता है तो अन्य विभागों में भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों द्वारा अनुरोध किया जायेगा। अतः मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। प्रो0 राजेन्द्र विद्यालंकार ने कहा कि धन की व्यवस्था कहां से होगी। प्रो0 एस0के0 श्रीवास्तव ने कहा कि यू0जी0सी0 के पत्रांक संख्या F.25–1/2018(PS/MISC.) दिनांक 28.01.2019 के आलोक में माननीय कुलपति जी को अधिकार दिया जाये कि सेवानिवृत्ति के उपरान्त किसी शिक्षक को Guest Faculty के रुप में अधिकतम 70 वर्ष तक विश्वविद्यालय की आवश्यकतानुसार नियुक्त किया जाये। मान्य कुलपति जी द्वारा कहा गया कि किसी शिक्षक द्वारा कोई प्रोजक्ट लाया जाता है तो उन्हें सेवानिवृत्त के उपरान्त भी विश्वविद्यालय में कार्य हेतु अनुमति दी जा सकती है तथा इससे विश्वविद्यालय पर कोई भी अतिरिक्त वित्तीय भार नही पड़ेगा तथा NIRF एवं NAAC द्वारा विश्वविद्यालय को प्रदत्त की जाने वाली रैकिंग में भी सहयोग प्राप्त होगा। प्रो0 राजेन्द्र विद्यालंकार ने कहा कि उक्त विषय को सैद्धान्तिक रुप से स्वीकार किया जाता है लेकिन एक समिति गठित करके उचित मानक/नियम बना लिये जाने चाहिए तथा प्रबन्ध मण्डल की आगामी बैठक में समिति की रिपोर्ट को प्रस्तुत किया जाये। समिति गठित किये जाने हेतु मान्य कुलपति जी को सदन द्वारा अधिकार दिया गया है।

अतः उपर्युक्तानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

प्रस्ताव संख्या 14

समविश्वविद्यालय में MCA पाठ्यक्रम की AICTE से मान्यता एवं समस्त भूमि के प्रपत्रों के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

MCA पाठ्यक्रम की AICTE से मान्यता के सम्बन्ध में MCA पाठ्यक्रम हेतु मुख्य परिसर, हरिद्वार एवं कन्या गुरुकुल परिसर, देहरादून को LOR प्राप्त हुआ था जिसके

अनुसार AICTE के मान्यता सम्बन्धी प्रपत्रों/अभिलेखों के पूर्ण न होने के कारण मान्यता प्राप्त नही की जा सकती थी। विश्वविद्यालय में प्रशासनिक स्तर पर न्यायालय के माध्यम से AICTE से पुर्नविचार याचिका दाखिल की गयी थी। AICTE की पुर्नविचार समिति (SAC) के समय दिनांक 01.10.2020 को अपना पक्ष रखा गया जिसके कारणः—

1. मुख्य परिसर, हरिद्वार को सभी प्रपत्रों/अभिलेखों (Land documents, Documents showing the possession of land in the name of Trust/Society/Company, Land Conversion, Land use, Ownership Type (Sale/Gift Deed or Government/Private Lease), Fire safety certificate, Stability certificate, Approved Buliding Maps etc.) को पूर्ण करने की शर्त के साथ LoA (Letter of Approval) दिया गया । जिसके अनुसार 2020—2021 में प्रवेश प्रक्रिया आरम्भ की जा सकती है।
2. कन्या गुरुकुल परिसर, देहरादून हेतु सभी प्रपत्रों/अभिलेखों (Land documents, Documents showing the possession of land in the name of Trust/Society/Company, Land Conversion, Land use, Ownership Type (Sale/Gift Deed or Government/Private Lease), Fire safety certificate, Stability certificate, Approved Buliding Maps etc.) को पूर्ण करने एवं भूमि स्वामित्व हस्तातंरण की शर्त के साथ LoI (Letter of Intent) दिया गया जिसके अनुसार प्रपत्र पूर्ण होने तक प्रवेश प्रक्रिया स्थगित रखनी होगी।

वर्तमान में विश्वविद्यालय में भूमि स्थानान्तरण सम्बन्धित प्रपत्र उपलब्ध नही हैं। विश्वविद्यालय में AICTE से MCA की मान्यता के सम्बन्ध में आवेदन करने पर AICTE द्वारा भूमि से सम्बन्धित प्रपत्र मांगे गये थे।
इस सम्बन्ध में दिनांक 05.10.2020 को मंत्री, आर्य प्रतिनिधि सभा, पंजाब को पत्र प्रेषित किया गया था कि आर्य प्रतिनिधि सभा, पंजाब से एक प्रस्ताव यथाशीघ्र पारित करने की कृपा करें कि जिसमें यह अंकन हो कि कन्या गुरुकुल परिसर, देहरादून की भूमि को गुरुकुल कांगड़ी समविश्वविद्यालय को स्थानान्तरित की जाती है। भूमि के सम्बन्ध में AICTE से दिनांक 28.10.2020 तथा 20.11.2020 को प्राप्त पत्रों में स्पष्ट अंकन किया गया है कि भूमि के स्वामित्व (Land ownership documents) से सम्बन्धित प्रपत्रों को कमी (Deficiencies) को शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जाये।

इस प्रस्ताव पर प्रो0 निपुर सिंह ने कहा कि AICTE से प्राप्त LoI (Letter of Intent) के अनुसार कन्या गुरुकुल परिसर, देहरादून में MCA पाठ्यक्रम चलाये जाने हेतु भूमि से सम्बन्धित प्रासंगिक प्रपत्र उपलब्ध नही है। इस सम्बन्ध में भूमि से सम्बन्धित रजिस्ट्रार कार्यालय, देहरादून में भी काफी समय से प्रयास किये जा रहे है, परन्तु उक्त कार्यालय से कोई भी प्रपत्र अभी तक उपलब्ध नही हो पाया है। मान्य कुलपति जी द्वारा अवगत कराया गया कि इस सम्बन्ध में मंत्री, आर्य प्रतिनिधि सभा, पंजाब को पत्र प्रेषित किया गया था। श्री नरिन्दर सिंह कटारिया ने कहा कि कन्या गुरुकुल परिसर, देहरादून के भूमि से सम्बन्धित प्रपत्रों को उपलब्ध कराने हेतु इनके द्वारा प्रयास किये जायेंगें।

पूरक प्रस्ताव संख्या 01 **समविश्वविद्यालय में संयुक्त कुलसचिव पद पर कार्यरत श्री देवेन्द्र कुमार के प्रतिनियुक्ति (Deputation) पर नियुक्ति होने पर कार्यमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।**

विश्वविद्यालय में संयुक्त कुलसचिव के पद पर कार्यरत श्री देवेन्द्र कुमार ने दिनांक 04.12.2020 को प्रेषित पत्र में अंकन किया है कि उनका गुरु गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, सेक्टर 16 सी0, द्वारका, नई दिल्ली में उपकुलसचिव (प्रशासन एवं वित्त) पद पर प्रतिनियुक्ति (Deputation) के आधार पर तीन वर्षो हेतु चयन हुआ है तथा विश्वविद्यालय में उपकुलसचिव (प्रशासन एवं वित्त) पद पर कार्यभार ग्रहण हेतु

कार्यमुक्त किये जाने का अनुरोध किया है। श्री देवेन्द्र कुमार, संयुक्त कुलसचिव ने उक्त पद हेतु नियमानुसार उचित माध्यम से आवेदन किया था।

उक्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 27.07.2020 के प्रस्ताव संख्या 12 में निर्णय लिया गया था कि भविष्य में विश्वविद्यालय के किसी भी शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी को नियमानुसार प्रतिनियुक्ति (Deputation) पर ही अन्यत्र सरकारी संस्थाओं में सेवा (भारत में तथा भारत के बाहर) पर जाने की स्वीकृति दी जायेगी। ध्यातव्य् है कि वर्तमान में विश्वविद्यालय में श्री देवेन्द्र कुमार, संयुक्त कुलसचिव के रुप में एकमात्र अधिकारी हैं।

उक्त प्रस्ताव पर प्रो0 एस0के0 श्रीवास्तव ने कहा कि विचारणीय है कि विश्वविद्यालय में एकमात्र पद पर कार्यरत कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाये अथवा नही। मान्य कुलपति जी द्वारा सदन को अवगत कराया कि वर्तमान में विश्वविद्यालय में अधिकारियों की कमी है। कुलसचिव ने कहा कि श्री देवेन्द्र कुमार को आवेदन करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा अनापत्ति पूर्व में ही दी जा चुकी है। अतः इन्हें प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने हेतु सदन द्वारा विचार किया जाना है। प्रो0 राजेन्द्र विद्यालंकार ने कहा कि यदि श्री देवेन्द्र कुमार को प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता है तो विश्वविद्यालय के उक्त पद को प्रतिनियुक्ति पर भरे जाने हेतु प्रकिया शीघ्र ही पूर्ण की जानी चाहिए। मान्य कुलपति जी के द्वारा सदन को यह भी अवगत कराया गया कि इनके साथ एक कर्मचारी के द्वारा अभद्रता एवं दुर्व्यवहार किया गया है, जिस कारण से उस कर्मचारी को निलम्बित किया गया है और कर्मचारी द्वारा मान्य उच्च न्यायालय में वाद दायर किया गया है।

उपर्युक्त पहलुओं पर विचार–विमर्श के उपरान्त् सदन द्वारा निर्णय लिया गया कि श्री देवेन्द्र कुमार को प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने हेतु दिनांक 15.02.2021 तक इस शर्त के साथ कार्यमुक्त किया जाये कि जब भी विश्वविद्यालय को उक्त वाद के सम्बन्ध में इनकी आवश्यकता होगी तो इन्हें विश्वविद्यालय/न्यायालय में उपस्थित होना होगा।

अतः प्रस्ताव को उपर्युक्तानुसार सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

पूरक प्रस्ताव संख्या 02 गुरुकुल कांगड़ी समविश्वविद्यालय में हिन्दूइज्म स्ट्डीज के सम्बन्ध में विभाग के गठन हेतु प्रस्ताव।

वर्तमान में वैश्विक परिवेश एवं हिन्दू धर्म को अधिकाधिक प्रसार हेतु समविश्वविद्यालय में हिन्दूइज्म स्टडीज के सम्बन्ध में विभाग का गठन किया जाना है। जिसमें हिन्दू धर्म से सम्बन्धित विचारधारओं, ज्ञान तथा परम्पराओं के अध्ययन–अध्यापन तथा शोध का कार्य किया जायेगा। इस हेतु विभाग के गठन एवं शिक्षकों एवं कर्मचारियों की भर्ती हेतु भारत सरकार को एक प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किया जाना है। अतः उपर्युक्तानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत्यर्थ प्रस्तुत है।

उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में मान्य कुलपति जी द्वारा पूर्ण विवरण सदन में रखा गया। श्री विनय आर्य ने जानना चाहा कि कोर्स क्या होगा तथा सुझाव दिया कि हिन्दूइज्म स्टडीज के कोर्स में अपनी वैदिक सिद्धान्तों एवं मान्यताओं के अनुरुप अधिकांश भाग वैदिक स्टडीज में रखा जा सकता है। इस सम्बन्ध में मान्य कुलपति ने कहा कि हिन्दूइज्म स्टडीज पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा पूर्व में ही पाठ्यक्रम की रुपरेखा तैयार की जा चुकी है, जिसमें वैदिक वांडमय परम्पराओं, संस्कृति, सभ्यता एवं पर्वों को पर्याप्त स्थान दिया गया है। श्री विनय आर्य ने कहा कि उक्त पाठ्यक्रम की एक प्रति उन्हें प्रेषित कर दी जाये। प्रो0 राजेन्द्र विद्यालंकार एवं प्रो0 एस0के0 श्रीवास्तव ने कहा कि इस सम्बन्ध में 02 शिक्षकों की एक समिति का गठन कर लिया जाये, जो पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट 02 माह में विश्वविद्यालय प्रशासन को प्रस्तुत करें। उक्त हेतु निम्न 02 शिक्षकों की समिति के गठन का प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

i. डॉ0 सोमदेव शतांशु

ii. डॉ0 दिनेश चन्द्र शास्त्री

प्रस्ताव को उपर्युक्तानुसार सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

पूरक प्रस्ताव संख्या 03 **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (समविश्वविद्यालय) रेगूलेशन–2019 के अनुसार समविश्वविद्यालय के वर्तमान MoA को संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।**

गुरुकुल कांगड़ी समविश्वविद्यालय में पूर्व से लागू MoA को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (समविश्वविद्यालय) रेगूलेशन–2019 के अनुसार संशोधित किया जाना है तथा संशाधित MoA को स्वीकृति हेतु शीघ्र ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में जमा किये जाने हेतु कहा गया है।

उक्त के आलोक में उल्लेखनीय है कि समविश्वविद्यालय के MoA को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (समविश्वविद्यालय) रेगूलेशन–2019 के अनुसार तैयार कर स्पोंसरिंग सोसाईटी के नामित सदस्य श्री विनय आर्य को दिनांक 07.12.2020 को प्रेषित कर दिया गया है। विश्वविद्यालय के स्पोंसरिंग सोसाईटी से स्वीकृति के उपरान्त अंतिम स्वीकृति हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली को प्रेषित किया जायेगा। चूंकि उक्त संशोधित MoA को रजिस्ट्रार, सोसाईटी कार्यालय, हरिद्वार में पंजीकृत कराया जाना है। अतः उक्त MoA 2019 को शीघ्र ही विश्वविद्यालय की स्पोंसरिंग सोसाईटीज से स्वीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत है।

उक्त प्रस्ताव पर श्री विनय आर्य ने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा विश्वविद्यालय के MoA-2016 को पारित किया जा चुका है। अतः MoA-2016 के अनुसार प्रबन्ध मण्डल का गठन कर लिया जाये। इस सम्बन्ध में कुलसचिव ने सदन को अवगत कराया गया कि जब तक MoA-2016 की विधिक प्रक्रिया (रजिस्ट्रार सोसायटी कार्यालय में) पूर्ण नहीं कर ली जाती है, तब तक MoA-2016 को विधिवत लागू किया जाना सम्भव नहीं है। श्री विनय आर्य ने कहा कि वर्तमान MoA-2019 में कुछ बिन्दुओं पर संशोधन किया जाना है। इस विषय पर मान्य कुलपति जी द्वारा कहा गया कि विश्वविद्यालय के शिक्षक प्रो0 पी0सी0 जोशी एवं डॉ0 श्वेतांक आर्य स्पोंसरिंग सोसाईटी के सदस्य श्री विनय आर्य के साथ बैठक कर सम्बन्धित बिन्दुओं पर चर्चा कर MoA-2019 को पूर्ण कर लिया जायेगा। तत्पश्चात् MoA-2019 को स्पोंसरिंग सोसाईटी को पारित करने हेतु प्रेषित कर दिया जायेगा।

अन्य पूरक प्रस्ताव संख्या 01 कुलसचिव ने सदन को अवगत कराया कि समविश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार मिश्र के अस्वस्थ होने के कारण विश्वविद्यालय के वित्तीय सम्बन्धित कार्यों को सुचारु रुप से चलाये जाने हेतु मान्य कुलपति जी के आदेशानुसार विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग में प्रोफेसर के रुप में कार्यरत डॉ0 एस0के0 श्रीवास्तव को दिनांक 02.01.2021 से विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार अग्रिम आदेश तक दिया गया है। प्रस्ताव का उपरोक्तानुसार अंकन किया गया।

अन्य पूरक प्रस्ताव संख्या 02 समविश्वविद्यालय के स्ववित्तपोषित भेषज्य विज्ञान विभाग में पी0सी0आई0 एवं ए0आई0सी0टी0ई0 के दिशानिर्देशों के अनुसार स्थाई रुप से एक प्रोफेसर तथा एक एसोसिएट प्रोफेसर पदों को स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में रखे गये प्रस्ताव पर मान्य कुलपति जी ने सदन को अवगत कराया कि चूंकि स्ववित्त पोषित के अन्तर्गत यही एक ऐसा विभाग है जहां इन दोनों पदों के न होने के कारण विभाग का अपेक्षित विकास नहीं हो सका है, जबकि इसकी आज बहुत मांग है तथा आगे इसके विकास हेतु विभाग में बिना उक्त पदों के स्वीकृत किये एम0फार्मा0 कोर्स, शोध के विस्तृत आयाम एवं शोध प्रोजेक्ट आदि के मिलने में बाधायें आ रही हैं और

इन पदों के बिना ए0आई0सी0टी0ई0 एवं पी0सी0आई0 की गाईडलाईस एवं मानकों का भी पालन नहीं किया जा सकता अतः प्रोफेसर एवं एसोसिएट प्रोफेसर पदों का स्वीकृत होना आवश्यक है।

इस प्रस्ताव पर प्रो0 राजेन्द्र विद्यालंकार ने कहा कि पूर्ण प्रक्रिया के साथ इन पदों पर योग्यतम व्यक्ति का चयन कर लिया जाये और वित्तीय स्थिति को देखते हुए प्रयास यह हो कि एसोसिएट प्रोफेसर पद पर यदि विभाग से ही कोई योग्य शिक्षक साक्षात्कार के माध्यम से चयन प्रक्रिया में आता है तो उसे एसोसिएट प्रोफेसर पद पर नियुक्ति हेतु वरीयता दी जानी चाहिए।

प्रस्ताव उपर्युक्तानुसार स्वीकृत किया गया।

अन्य पूरक प्रस्ताव संख्या 03 समविश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय, कुलसचिव कार्यालय एवं इससे सम्बन्धित स्थापना अनुभाग–प्रथम में कार्यरत लिपिक एवं एम0टी0एस0 (भृत्य) को वेतन का अतिरिक्त 02 प्रतिशत मानदेय दिये जाने के सम्बन्ध में रखे गये प्रस्ताव पर कुलसचिव ने अवगत कराया कि उक्त कार्यालयों में निर्धारित कार्य समय के उपरान्त् एवं अवकाश के दिनों में भी आवश्यक कार्य हेतु सम्बन्धित कर्मचारियों को बुलाया जाता है। जिस कारण से उन्हें निर्धारित कार्यालय समय से अधिक समय तक अपने कार्यस्थल पर उपस्थित रहना पड़ता है। अतः इन कार्यालयों से सम्बन्धित कर्मचारियों को उनके वेतन का 02 प्रतिशत अतिरिक्त मानदेय के रुप में दिया जा सकता है। इस सम्बन्ध में प्रो0 राजेन्द्र विद्यालंकार ने कहा कि उक्त व्यवस्था केवल सम्बन्धित कार्यालयों के लिये ही सीमित संख्या में निर्धारित की जाये।

प्रस्ताव उपर्युक्तानुसार स्वीकृत किया गया।

अन्य पूरक प्रस्ताव संख्या 04 प्रो0 नवनीत ने प्रस्ताव रखा कि समविश्वविद्यालय में शिक्षकों/आन्तरिक परीक्षकों को पेपर बनाये जाने तथा उत्तर पुस्तिकाओं के मूंल्याकन हेतु मानदेय नही दिये जाने चाहिए। इस सम्बन्ध में रखे गये प्रस्ताव पर श्री विनय आर्य एवं श्री नरिन्दर सिंह कटारिया ने कहा कि अन्य विश्वविद्यालयों में पेपर बनाये जाने तथा उत्तर पुस्तिकाओं के मूंल्याकन इत्यादि समस्त कार्य शिक्षकों की सेवा से सम्बन्धित कार्य हैं। अतः उन विश्वविद्यालयों में शिक्षकों को पेपर बनाये जाने तथा उत्तर पुस्तिकाओं के मूंल्याकन इत्यादि का कोई भी अतिरिक्त मानदेय देय नही होता हैं। अतः विश्वविद्यालय में भी उक्त प्रकिया को अपनाया जाना चाहिए। अतः सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परीक्षा ड्यूटी, प्रश्न–पत्र बनाना, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन, प्रयोगात्मक परीक्षा, लघु शोध–प्रबन्ध/पी–एच.डी. मौखिकी परीक्षा तथा प्रवेश से सम्बन्धित परीक्षा कार्य इत्यादि को शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों द्वारा करने पर कोई पारिश्रमिक/मानदेय भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त सभी कार्य शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी की सेवा का अहम भाग माना जायेगा। नियुक्ति एवं सेवा शर्तों के अनुसार कोई भी शिक्षक/कर्मचारी उक्त कार्य को करने में मना नहीं करेगा। इस सम्बन्ध में प्रो0 राजेन्द्र विद्यालंकार ने कहा कि यह प्रक्रिया विश्वविद्यालय में दिनांक 01.01.2021 से लागू कर दी जाये।

प्रस्ताव उपर्युक्तानुसार स्वीकृत किया गया।

शान्ति पाठ के पश्चात् इस बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

कुलसचिव

॥ ओ३म्॥

गुरुकुल काङ्गड़ी (समविश्वविद्यालय) हरिद्वार

(नैक से "A" ग्रेड प्राप्त एवं यू०जी०सी० एक्ट 1956 के सेक्शन 3 के अन्तर्गत समविश्वविद्यालय)

Gurukula Kangri (Deemed to be University) Haridwar

(NAAC "A" Grade Accredited Deemed to be University u/s 3 of UGC Act 1956)

Ref. GKV/2021

Date 01/03/2021

आप्पत्ति/टिप्पणी

प्रबन्ध मण्डल के माननीय सदस्य डॉ0 सुनील पंवार, प्रो0 निपुर सिंह एवं प्रो0 मुनदेव बन्धु द्वारा दिनांक 10.01.2021 को आयोजित प्रबन्ध मण्डल की 16 वीं बैठक के कार्यवृत का अवलोकन कर अपनी आपत्ति/टिप्पणी/सुझाव निम्न प्रकार प्रेषित किये गये हैं। कार्यवृत्त में सम्मिलित की गयी आपत्तियाँ/टिप्पणियाँ सभी मान्य सदस्यों के अवलोकनार्थ प्रेषित की जा रही हैं।

(अ) डॉ0 सुनील पंवार द्वारा प्रेषित की गयी आपत्तियों का विवरण :–

1. प्रस्ताव संख्या 07 (प्रबन्ध मण्डल दिनांक 10.01.2021) पर चर्चा के दौरान मेरे दवारा उठाई गई आपत्ति को कार्यवृत्त में शामिल न किया जाना ।

विश्वविद्यालय के स्ववित्तपोषित योजना के अंतर्गत संकाय एवं विभागों में भविष्य में नियुक्त होने वाले कर्मचारियों हेतु नियम एवं सेवा शर्तों को बनाये जाने का पूर्व में आयोजित प्रबन्ध मण्डल की बैठकों में प्रस्ताव था। परन्तु कार्यवाही में पूर्व में नियुक्त सभी कार्यरत कर्मचारियों हेतु नियम बनाया जाना कर दिया गया था, जो सर्वथा अनुचित है। जिस पर मेरे दवारा आपत्ति उठाई गई थी। जिसका उल्लेख मिनिट्स में नहीं किया गया । अतः उपरोक्त नियम सर्व–सम्मति से पारित नहीं किये गये है।

इस प्रस्ताव में चर्चा के दौरान दो माननीय सदस्य प्रो0 निपुर सिंह और मै स्वयं (डॉ0 सुनील पंवार) की तरफ से यह सुझाव दिया गया था कि उपरोक्त स्ववित्तपोषित विभागों हेतु बनाये गये नियम पूर्व में नियमित कर्मचारियों पर लागू नहीं किया जाना चाहिए। अतः आगामी प्रबन्ध मण्डल में इस पर चर्चा करायी जानी चाहिए। नियम को आगामी बैठक तक स्थगित किया जाना न्यायोचित होगा। उपरोक्त नियम प्रोफेशनल बाड़ी (सांविधिक निकाय) जैसे AICTE, PCI, NCTE आदि के अनुसार ही बनने चाहिए, जिससे कि भविष्य में मान्यता सम्बन्धित कार्य में कोई रूकावट न आये तथा अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानन्द जी के आधुनिक विज्ञान के शिक्षा सम्बन्धी सपनों को विश्वविद्यालय में साकार किया जा सके।

2. अन्य पूरक प्रस्ताव संख्या 04/(पेज संख्या 17) पर की गयी आपत्ति :–

अन्य पूरक प्रस्ताव संख्या 04/(पेज संख्या 17) के अन्तर्गत समविश्वविद्यालय में शिक्षकों/आन्तरिक परीक्षकों को पेपर बनाये जाने तथा उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु मानदेय/परीक्षा ड्यूटी पारिश्रमिक हमेशा के लिए हटा दिया गया। जिस पर मुझे आपत्ति है। जबकि यह एक निश्चित अन्तराल (कोविड– 19 महामारी के दौरान ही) तक ही प्रभावी रहना चाहिए।

(ब) प्रो0 निपुर सिंह द्वारा प्रेषित की गयी आपत्तियों का विवरण :–

1. दिनांक 27.02.2020 को हुई प्रबन्ध मण्डल की बैठक के प्रस्ताव संख्या 09 के अनुसार विश्वविद्यालय के स्ववित्तपोषित योजनान्र्गत संकाय/विभागों में भविष्य में कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु सेवा–शर्तों एवं नियमावली बनाये जाने हेतु बनायी गयी कमेटी की संस्तुति का वर्णन है। दिनांक 10.01.2021 को हुई प्रबन्ध मण्डल की बैठक के प्रस्ताव संख्या 07 में इसे 'नियुक्त सभी कर्मचारियों हेतु नियम' बनाया जाना कर दिया गया । यह सर्वथा अनुचित है।

इस प्रस्ताव में चर्चा के दौरान मैंने यह सुझाव दिया था कि स्ववित्तपोषित विभागों द्वारा बनाये गये नियम पूर्व में नियमित कर्मचारियों पर लागू नहीं किये जाने चाहिये।

2. पूरक प्रस्ताव संख्या 04 के अन्तर्गत समविश्वविद्यालय में शिक्षकों/आंतरिक परीक्षकों को पेपर बनाये जाने तथा उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु मानदेय/पारिश्रमिक हमेशा के लिए हटा दिया गया है। मेरा सूझाव है कि जब तक विश्वविद्यालय को सरकार की तरफ से कम अनुदान मिल रहा है ऐसा तब तक ही होना चाहिए। परीक्षा के लिए प्रत्येक विद्यार्थी से शुल्क लिया जाता है यह व्यय वहाँ से किया जा सकता है।

(स) प्रो0 मनुदेव बन्धु द्वारा प्रेषित की गयी आपत्ती/सुझाव का विवरण :–

1. प्रस्ताव संख्या 07 में स्ववित्तपोषित शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों हेतु जो नियम लागू किये जा रहे हैं, वे नियम भविष्य में नियुक्त होने वाले कर्मचारियों और शिक्षकों पर लागू होने चाहिए।

2. प्रस्ताव संख्या 11 में स्व आकलन विवरण (ACR) भरने का नियम भविष्य में आने वाले शिक्षकों पर लागू होना चाहिए।

उक्त आपत्तियों/टिप्पणियों/सुझावो को प्रबन्ध मण्डल की 16 वीं बैठक के कार्यवृत्त में BoM के माननीय अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति के आलोक में सम्मिलित कर लिया गया है, जिन्हें आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में चर्चा/विचार–विमर्श/निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। शेष निर्णयों पर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

कुलसचिव

P.O. Gurukula Kangri, Haridwar-249 404, Uttarakhand (India)
Tel.:7300761138, Fax: 01334- 245265, Email:registrar@gkv.ac.in
Web:www.gkv.ac.in